प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016

(2016 का अधिनियम संख्यांक 38)

[3 अगस्त, 2016]

भारत के लोक लेखाओं या प्रत्येक राज्य के लोक लेखाओं के अधीन एक निधि की स्थापना और उसमें प्रतिकरात्मक वनरोपण, अतिरिक्त प्रतिकरात्मक वनरोपण, शास्तिक प्रतिकरात्मक वनरोपण, शुद्ध वर्तमान मूल्य मद्दे उपयोक्ता अभिकरणों से प्राप्त धन और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन ऐसे अभिकरणों से वसूल की गई अन्य सभी रकमों को जमा करने; निधियों के प्रशासन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर और प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में प्राधिकरण के गठन और कृत्रिम पुनरुत्पादन (बागान), सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनरुत्पादन, वन्य संरक्षण, वन संबंधी अवसंरचना विकास, हरित भारत कार्यक्रम, वन जीव संरक्षण का कार्य करने के लिए इस प्रकार संगृहीत धनराशियों के उपयोजन और अन्य संबंधित क्रियाकलापों तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

उच्चतम न्यायालय ने [1995 की रिट याचिका (सिविल) सं० 202] टी०एन० गोडावर्मन तिरुमलपाद **बनाम** भारत संघ और अन्य में तारीख 30 अक्तूबर, 2002 के अपने आदेश में यह मत व्यक्त किया कि प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि का सृजन किया जाए जिसमें प्रतिकरात्मक वनरोपण, अतिरिक्त प्रतिकरात्मक वनरोपण, शास्तिक प्रतिकरात्मक वनरोपण, अपयोजित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य या जलागम क्षेत्र उपचार योजना आदि मद्दे उपयोक्ता अभिकरणों से प्राप्त सभी धनराशियां जमा की जाएंगी;

और यह भी मत व्यक्त किया गया था कि ऐसे मामलों में जहां अपयोजित वन भूमि संरक्षित क्षेत्रों अर्थात् जैव विविधता या वन्य जीव के संरक्षण से संबंधित क्रियाकलाप करने के लिए वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 35) के अधीन अधिसूचित क्षेत्रों के भीतर आती है, वहां उपयोक्ता अभिकरणों से प्राप्त धनराशि भी इस निधि में जमा की जाएगी;

और उच्चतम न्यायालय ने यह निदेश दिया है कि कृत्रिम पुनरुत्पादन (बागान) के अतिरिक्त, निधि का उपयोग सहायताप्राप्त प्राकृतिक पुनरुत्पादन वन संरक्षण, अवसंरचना विकास, वन्य जीव संरक्षण और अन्य संबंधित क्रियाकलापों के लिए भी किया जाएगा और निधियों का प्रभावी और उचित उपयोजन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि के माध्यम से साथ-साथ मॉनीटर किए जाने और मूल्यांकन करने की एक स्वतंत्र प्रणाली विकसित और कार्यान्वित की जानी चाहिए;

और उच्चतम न्यायालय ने उक्त रिट याचिका में तारीख 26 सितम्बर, 2005 के अपने निर्णय में यह मत व्यक्त किया है कि पारिस्थितिकी की संरक्षा के लिए उत्पन्न और पुनरुत्पादन की व्यवस्था के लिए निधि को संविधान के अनुच्छेद 266 और अनुच्छेद 283 के अधीन निधि के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए;

और तारीख 5 मई, 2006 के अपने निदेश में उच्चतम न्यायालय ने यह निदेश दिया था कि चूंकि सरकार ने प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन नहीं किया है इसलिए प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण के प्रवर्तन में आने तक एक तदर्थ प्राधिकरण का गठन किया जाना चाहिए और राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के पास पड़े हुए उक्त प्रतिकात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण की ओर से वसूल किए गए धन का तदर्थ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण में केन्द्रीय पूल बनाने का निदेश दिया ;

और केन्द्रीय सरकार ने तदर्थ प्राधिकरण के पास पड़ी निधियों के उपयोग के लिए राज्य प्राधिकरण के विषय पर तारीख 2 जुलाई, 2009 को मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए थे;

और उच्चतम न्यायालय ने अपने तारीख 10 जुलाई, 2009 के निदेश में यह निदिष्ट किया था कि केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार किए गए राज्य प्राधिकरण के मार्गदर्शक सिद्धांतों और संरचना को अधिसूचित और कार्यान्वित किया जाए;

और उच्चतम न्यायाल ने तारीख 10 जुलाई, 2009 के निदेशों में यह और निदिष्ट किया कि कोई अनुकल्पी प्रणाली लाए जाने तक उच्चतम न्यायालय से अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के पश्चात् प्रतिकरात्मक वनरोपण, शुद्ध वर्तमान मूल्य और संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभयारण्यों) मद्दे धन तदर्थ प्राधिकरण में जमा किया जाता रहेगा;

और उच्चतम न्यायालय के तारीख 5 मई, 2006 के उसके आदेश सहित, उसके निदेशों की अनुपालना में राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा संगृहीत अड़तीस हजार करोड़ से अधिक रुपए को तदर्थ प्राधिकरण के अधीन रख दिया गया है और उसे राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा करा दिया गया है;

और राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा संगृहीत निधियों के उपयोग के लिए स्थायी संस्थागत तंत्र का अभाव तदर्थ प्राधिकरण में विशाल अव्ययित निधियों के संचय का मुख्य कारण है;

अत:, अब, उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेशों, निदेशों और संप्रेक्षणों के आधार पर तदर्थ प्राधिकरण के पास संचित निधियों और राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा संगृहीत की जाने वाली निधियों की किसी पारदर्शी रीति में सुरक्षा, संरक्षा और त्वरित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए संसद् के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि तथा एक राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण तथा प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्र में राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि तथा राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण सृजित करने का प्रस्ताव है;

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 है ।

(2) इसका विस्तार, जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय, संपूर्ण भारत पर है ।

(3) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(क) "तदर्थ प्राधिकरण" से टी०एन० गोडावर्मन तिरुमलपाद **बनाम** भारत संघ और अन्य [1995 की रिट याचिका (सिविल) सं० 202] में उच्चतम न्यायालय के तारीख 5 मई, 2006 के आदेश के अधीन गठित तदर्थ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ख) "अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्राधिकरण" से राष्ट्रीय प्राधिकरण के शासी निकाय का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) "अध्यक्ष, राज्य प्राधिकरण" से राज्य प्राधिकरण के शासी निकाय का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) "प्रतिकरात्मक वनरोपण" से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) के अधीन वन भूमि के वनेत्तर उपयोग के अपयोजन के बदले किया गया वनरोपण अभिप्रेत है;

(ङ) "पर्यावरणीय सेवाओं" में निम्नलिखित सम्मिलित हैं—

(i) माल जैसे कि काष्ठ, गैर-इमारती वन उत्पाद, ईंधन, चारे, जल की व्यवस्था और चरागाह, पर्यटन, वन्य जीव संरक्षण और जीवन सहायता जैसी सेवाओं की व्यवस्था;

(ii) बाढ़ नियंत्रण, कार्बन पृथक्करण, मृदा, वायु और जल प्रणाली के स्वास्थ्य जैसी विनियम न सेवाएं;

(iii) पारिस्थितिकी सेवाओं, जैव विविधता, पोषक चक्रण और प्राथमिक उत्पादन, जिसके अंतर्गत परागण और बीज छितराव भी है, के लिए आवश्यक ऐसी अन्य सेवाओं की सहायता करना;

(च) "प्रादेशिक कार्यालय का अध्यक्ष" से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) के अधीन वन संरक्षण मामलों का निपटारा करने के लिए प्रादेशिक कार्यालय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त ज्येष्ठतम अधिकारी अभिप्रेत है;

(छ) "मानीटरी समूह" से धारा 19 की उपधारा (3) के अधीन गठित राष्ट्रीय निधि और राज्य निधि से निकाली गई रकमों से किए गए क्रियाकलापों को मानीटर करने संबंधी विशेषज्ञों का समूह अभिप्रेत है;

(ज) "राष्ट्रीय प्राधिकरण" से धारा 8 के अधीन गठित राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(झ) "राष्ट्रीय निधि" से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अभिप्रेत है;

(ञ) "शुद्ध वर्तमान मूल्य" से वनेत्तर उपयोगों के लिए अपयोजित वन क्षेत्र के लिए उपलब्ध कराई गई पर्यावरणीय सेवाओं का परिमाणन अभिप्रेत है जो इस संबंध में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा अवधरित किया जाए;

(ट) "शास्तिक प्रतिकरात्मक वनरोपण" से वन (सरंक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) के अधीन ऐसे क्षेत्र की सीमा के बदले, जिस पर वनेत्तर क्रियाकलाप वन (सरंक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त किए बिना किए गए हैं, मार्गदर्शक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट प्रतिकरात्मक वनरोपण से अधिक किया जाने वाला वनरोपण कार्य अभिप्रेत है;

(ठ) "विहित" से केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ड) "राज्य प्राधिकरण" से धारा 10 के अधीन गठित राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ढ) "राज्य निधि" धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक राज्य द्वारा स्थापित राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अभिप्रेत है;

(ण) "उपयोक्ता अभिकरण" से ऐसा कोई व्यक्ति, संगठन या कंपनी या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार का विभाग अभिप्रेत है, जो वन (सरंक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) और उसके अधीन बनाए गए नियमों और जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार वन भूमि के वनेत्तर प्रयोजन के लिए अपयोजन या उसके संबंध में अधिसूचना को रद्द करने हेतु अनुरोध कर रहा है या उस वन भूमि का उपयोग वनेत्तर प्रयोजनों के लिए कर रहा है।

अध्याय 2

राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि और राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधियों की स्थापना, उनका प्रबंधन और उपयोजन

3. राष्ट्रीय निधि की स्थापना—(1) ऐसी तारीख से जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारत के लोक लेखा के अधीन "राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि" नामक एक विशेष निधि की स्थापना की जाएगी।

(2) राष्ट्रीय निधि केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन होगी और उसका प्रबंध राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा ऐसी रीति में किया जाएगा, जो विहित की जाए।

(3) निधि की स्थापना की तारीख को राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा संगृहीत सभी धन, जो तदर्थ प्राधिकरण के अधीन रखा गया है और राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा किया गया है राष्ट्रीय निधि में अंतरित किया जाएगा।

(4) राष्ट्रीय निधि में प्रत्येक राज्य द्वारा वार्षिक आधार पर उपयोक्ता अभिकरणों से उनके पक्ष में अपयोजित वन भूमि की बाबत वसूल की गई निधियों का दस प्रतिशत भी जमा किया जाएगा, जिसे राज्य निधि में प्रत्यक्षत: जमा किया गया है।

(5) राष्ट्रीय निधि में निम्नलिखित भी जमा किए जाएंगे—

(क) राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान, यदि कोई हो;

(ख) राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा लिया गया कोई ऋण या कोई उधार;

(ग) राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा उपकृति, दान या संदान के माध्यम से प्राप्त कोई अन्य राशियां।

(6) राष्ट्रीय निधि में प्राप्त धन भारत के लोक लेखा के अधीन ब्याज वाली निधि होगा।

(7) राष्ट्रीय निधि में शेष अव्यपगतीय होगा और वर्षानुवर्ष आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित दर के अनुसार ब्याज प्राप्त करेगा।

4. राज्य निधि की स्थापना—(1) ऐसी तारीख से, जो प्रत्येक राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करें, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे राज्य के लोक लेखाओं के अधीन "राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि-... (राज्य का नाम)" नामक एक विशेष निधि की स्थापना की जाएगी:

परंतु बिना विधान-मंडल वाले संघ राज्यक्षेत्र की दशा में, ऐसी निधि की स्थापना, उस तारीख से, जो संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित नियत करें, भारत संघ के लोक लेखा के अधीन की जाएगी।

(2) प्रत्येक राज्य में राज्य निधि, ऐसे राज्य की राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगी और ऐसे राज्य के राज्य प्राधिकरण द्वारा उसका प्रबंध ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, किया जाएगा।

(3) किसी राज्य की राज्य निधि में निम्नलिखित जमा किया जाएगा,—

(i) ऐसी धनराशियों का अव्ययित शेष, जो तारीख 2 जुलाई, 2009 के मार्गदर्शक सिद्धांतों की अनुपालना में ऐसे राज्य में गठित तदर्थ प्राधिकरण द्वारा राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण को अंतरित किया गया है;

(ii) धारा 5 के खंड (क) के अधीन राष्ट्रीय निधि से अंतरणीय सभी धन;

(iii) प्रतिकरात्मक वनरोपण, अतिरिक्त प्रतिकरात्मक वनरोपण, शास्तिक प्रतिकरात्मक वनरोपण, शुद्ध वर्तमान मूल्य, जलागम क्षेत्र उपचार योजना मद्दे ऐसे राज्यों द्वारा उपयोक्ता अभिकरणों से प्राप्त सभी धन या वन (संरक्षण)

अधिनियम, 1980 (1980 का 69) के उपबंधों के अधीन अनुमोदन प्रदान करते समय केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुबद्ध शर्तों की अनुपालना के लिए कोई भी धन; और

(iv) ऐसे मामलों में, जहां अपयोजित वन भूमि संरक्षित क्षेत्रों अर्थात् जैव विविधता और वन्य जीव के संरक्षण से संबंधित क्रियाकलाप करने के लिए वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 18, धारा 26क या धारा 35 के अधीन अधिसूचित क्षेत्रों के भीतर आती है, वहां ऐसे राज्यों द्वारा उपयोक्ता अभिकरणों से वसूलीय निधियां ।

(4) कोई राज्य सरकार अपने द्वारा गठित राज्य निधि में निम्नलिखित भी जमा कर सकेगी—

(i) राज्य प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान, यदि कोई हो;

(ii) राज्य प्राधिकरण द्वारा लिया गया कोई ऋण या लिया गया कोई उधार;

(iii) राज्य प्राधिकरण द्वारा उपकृति, दान या संदान के माध्यम से प्राप्त कोई अन्य राशियां ।

(5) राज्य निधि में प्राप्त धन ऐसे राज्य के लोक लेखाओं के अधीन ब्याज वाली निधि होगा ।

(6) प्रत्येक राज्य निधि में शेष अव्यपगतीय होगा और वर्षानुवर्ष आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित दर के अनुसार ब्याज प्राप्त करेगा ।

5. राष्ट्रीय निधि का संवितरण और उपयोग—इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, राष्ट्रीय निधि में उपलब्ध धन का निम्नलिखित रीति में संवितरण और उपयोग किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) राज्य द्वारा संगृहीत सभी ऐसे धन का, जो तदर्थ प्राधिकरण के अधीन रखा गया है और उस पर प्रोद्भूत ब्याज का नब्बे प्रतिशत धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन ऐसे राज्य में स्थापित राज्य निधि में अंतरित किया जाएगा;

(ख) राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा संगृहीत सभी ऐसे धन और उस पर प्रोद्भूत ब्याज, जो तदर्थ प्राधिकरण के अधीन रखे गए हैं तथा राष्ट्रीय निधि में धारा 3 की उपधारा (4) में यथा उपबंधित सभी नए प्रोद्भवन और उस पर प्रोद्भूत ब्याज के दस प्रतिशत का उपयोग निम्नलिखित की पूर्ति के लिए किया जाएगा—

(i) राष्ट्रीय प्राधिकरण के प्रबंध के लिए अनावर्ती और आवर्ती व्यय, जिसके अंतर्गत इसके अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते भी हैं;

(ii) राष्ट्रीय प्राधिकरण और प्रत्येक राज्य प्राधिकरण द्वारा निष्पादित कार्यों की मानीटरी और मूल्यांकन पर उपगत व्यय;

(iii) राष्ट्रीय प्राधिकरण के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित विनिर्दिष्ट स्कीमों पर उपगत व्यय ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "स्कीम" के अंतर्गत कोई संस्थान, सोसाइटी, वन और वन्य जीव के क्षेत्र में उत्कृष्टता का केन्द्र, पायलट स्कीम, संहिताओं और मार्गदर्शक सिद्धांतों का मानकीकरण तथा वनोद्योग और वन्य जीव क्षेत्र के लिए अन्य ऐसे संबंधित क्रियाकलाप भी हैं ।

6. राज्य निधि का संवितरण और उपयोग—इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, राज्य निधि में उपलब्ध धन का निम्नलिखित रीति में संवितरण और उपयोग किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) प्रतिकरात्मक वनरोपण, अतिरिक्त प्रतिकरात्मक वनरोपण, शास्तिक प्रतिकरात्मक वनरोपण, जलागम क्षेत्र उपचार योजना और किसी अन्य स्थल विनिर्दिष्ट स्कीम के लिए प्राप्त धन का उपयोग, राज्य द्वारा प्रस्तुत स्थल विनिर्दिष्ट स्कीमों के साथ ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) के अधीन वन भूमि के अपयोजन के लिए अनुमोदित प्रस्तावों के अनुसार किया जा सकेगा;

(ख) शुद्ध वर्तमान मूल्य और शास्तिक शुद्ध वर्तमान मूल्य मद्दे प्राप्त धन का उपयोग ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कृत्रिम पुनरुत्पादन (बागान), सहायक प्राकृतिक पुनरुत्पादन वन प्रबंध, वन संरक्षण, वन और वन्य जीव संबंधी अवसंरचना विकास, वन्य जीव संरक्षण और प्रबंध, काष्ठ और अन्य वन उत्पाद बचत युक्तियों के प्रदाय और अन्य सहबद्ध' क्रियाकलापों के लिए किया जाएगा;

(ग) किसी राज्य निधि में उपलब्ध निधियों पर प्रोद्भूत ब्याज और राज्य सरकारों द्वारा संगृहीत सभी ऐसे धन पर प्रोद्भूत ब्याज का उपयोग, जो उच्चतम न्यायालय के तारीख 5 मई, 2006 के निदेशों की अनुपालना में तदर्थ प्राधिकरण के अधीन रखे गए हैं और राष्ट्रीय बैंकों में जमा किए गए हैं, वन और वन्य जीव के सरंक्षण और विकास के लिए ऐसी रीति में किया जाएगा, जो विहित की जाए;

(घ) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 5क के अधीन गठित राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा किए गए विनिश्चय या उच्चतम न्यायालय के ऐसे आदेशों के अनुसार, जिनमें संरक्षित क्षेत्रों में वन भूमि के अपयोजन के मामले अंतर्वलित हैं, उपयोक्ता अभिकरणों से वसूल किए गए सभी धन को समग्र रूप में रखा जाएगा

और उससे हुई आय का उपयोग अनन्य रूप से राज्यों के संरक्षित क्षेत्रों में संरक्षा और संरक्षण क्रियाकलाप करने के लिए किया जाएगा और आपवादिक परिस्थितियों में समग्र धन के किसी भाग का उपयोग राष्ट्रीय प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन भी किया जा सकेगा;

(ङ) उपयोक्ता अभिकरणों से वसूल की गई ऐसी रकम, जो प्रत्यक्षत: किसी वर्ष में राज्य निधि में जमा की गई है, का दस प्रतिशत धारा 5 के खंड (ख) में यथा उपबंधित व्यय की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय निधि में अंतरित किया जाएगा;

(च) किसी राज्य प्राधिकरण के प्रबंध के लिए अनावर्ती और आवर्ती व्यय, जिसके अंतर्गत इसके अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते भी हैं, की पूर्ति ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, राज्य निधि में उपलब्ध रकमों पर प्रोद्भूत ब्याज के भाग में से की जा सकेगी;

(छ) परा सीमा वनोद्योग या किसी विशिष्ट राज्य में वनेत्तर प्रयोजनों के लिए वन भूमि के अपयोजन की पर्यावरणीय विवक्षा के मामले में, यदि राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा समीचीन और आवश्यक पाया जाए तो वह संबंधित राज्य प्राधिकरणों के परामर्श से यह आदेश कर सकेगा कि ऐसी राशि, जो परा सीमा प्रभावों की हानि पूर्ति के लिए आवश्यक हों, ऐसे राज्य या राज्यों की निधि में अंतरित की जाए;

(ज) राज्य प्राधिकरण, ऐसे राज्य प्राधिकरण की विषय निर्वाचन समिति और राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यपालक समिति द्वारा निश्चित की गई संक्रिया की वार्षिक योजना के अनुसार पूर्व अवधारित किस्तों में क्रियाकलापों के निष्पादन के लिए पहचान किए गए अभिकरणों को धन देगा ।

7. लेखा प्रक्रिया—किसी वर्ष में राष्ट्रीय निधि और राज्य निधि में धन जमा करने की रीति को विनियमित करने की लेखा प्रक्रिया ऐसी रीति में होगी, जो विहित की जाए ।

अध्याय 3

राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरणों का गठन

8. राष्ट्रीय प्राधिकरण का गठन—(1) उस तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, "राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण" के नाम से ज्ञात एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा ।

(2) राष्ट्रीय प्राधिकरण, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय निधि का प्रबंध और उपयोग करेगा ।

(3) राष्ट्रीय प्राधिकरण का एक शासी निकाय होगा, जिसकी सहायता कार्यपालक समिति, मानीटरी समूह और प्राशसनिक सहायता तंत्र द्वारा की जाएगी ।

(4) राष्ट्रीय प्राधिकरण का शासी निकाय निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात्:—

(i) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, भारत सरकार—अध्यक्ष पदेन;

(ii) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, कृत्रि मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, जनजातीय विकास मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, अंतरिक्ष और भू-विज्ञान मंत्रालय के सचिव तथा नेशनल इंस्टिट्यूट फार ट्रांसफार्मिंग इंडिया आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारत सरकार—पदेन सदस्य;

(iii) वन महानिदेशक और विशेष सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार—पदेन सदस्य;

(iv) अपर वन महानिदेशक (वन संरक्षण), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार—पदेन सदस्य;

(v) अपर वन महानिदेशक (वन्य जीव), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार—पदेन सदस्य;

(vi) हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन का मिशन महानिदेशक, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार—पदेन सदस्य;

(vii) वित्त सलाहकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार—पदेन सदस्य;

(viii) पांच प्रधान मुख्य वन संरक्षक, दस क्षेत्रों में से प्रत्येक में एक से अधिक नहीं, जो एक बार में दो वर्ष की अवधि के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा चक्रानुक्रम के आधार पर नामनिर्देशित किए जाएंगे—पदेन सदस्य;

(ix) वन महानिरीक्षक (वन संरक्षण), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार—पदेन सदस्य;

(x) पांच विशेषज्ञ, जिनमें से प्रत्येक को पर्यावरणविदों, संरक्षकों, वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों और सामाजिक वैज्ञानिकों में से प्रत्येक में एक, जो केंद्रीय सरकार द्वारा दो क्रमवर्ती अवधियों से अनधिक के अध्यधीन दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे—सदस्य ।

(5) केन्द्रीय सरकार, अपर वन महानिदेशक की पंक्ति के किसी अधिकारी को राष्ट्रीय प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी जो राष्ट्रीय प्राधिकरण की शासी निकाय और कार्यपालिका समिति का सदस्य सचिव होगा ।

9. राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यपालक समिति और मानीटरी समूह—(1) राष्ट्रीय प्राधिकरण के शासी निकाय की, अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों और शक्तियों के अनुपालन में कार्यपालक समिति और मानीटरी समूह द्वारा सहायता की जाएगी ।

(2) राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यपालक समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(i) वन महानिदेशक और विशेष सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार—पदेन अध्यक्ष;

(ii) अपर वन महानिदेशक (वन संरक्षण), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार—पदेन सदस्य;

(iii) अपर वन महानिदेशक (वन्य जीव), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार—पदेन सदस्य;

(iv) हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन का मिशन महानिदेशक, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार—पदेन सदस्य;

(v) वित्त सलाहकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार—पदेन सदस्य;

(vi) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के सभी प्रादेशिक कार्यालयों के प्रमुख—पदेन सदस्य;

(vii) वन महानिरीक्षक (वन संरक्षण), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार—पदेन सदस्य;

(viii) एक वृत्तिक पारिस्थितिकीविज्ञ, जो केन्द्रीय सरकार से संबंधित नहीं हो, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा—सदस्य;

(ix) तीन विशेषज्ञ, जो वन विज्ञान, जनजातीय विकास और वन अर्थव्यवस्था विकास के क्षेत्रों में से प्रत्येक में से एक, जो केन्द्रीय सरकार से संबंधित नहीं हो, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना है—सदस्य;

(x) राष्ट्रीय प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी—सदस्य सचिव ।

(3) मानीटरी समूह, पर्यावरण, अर्थशास्त्र, वन्य जीव, वन, दूरस्थ संवेद और भौगोलिक सूचना तंत्र तथा सामाजिक सेक्टर के क्षेत्र और महानिदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के छह विशेषज्ञों से मिलकर बनेगा ।

(4) कार्यपालक समिति को, अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों और शक्तियों का पालन करने में सहायता करने के लिए निम्नलिखित अधिकारी पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, अर्थात्:—

(i) वन महानिरीक्षक की पंक्ति का संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी;

(ii) भारत सरकार के निदेशक की पंक्ति का वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी; और

(iii) वन उप महानिरीक्षक की पंक्ति का उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी ।

(5) राष्ट्रीय प्राधिकरण का शासी निकाय, केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति से कार्यपालक समिति और मानीटरी समूह की इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण में सहायक वन महानिरीक्षक के स्तर के और अन्य पदधारियों के पद सृजित कर सकेगा ।

10. राज्य प्राधिकरण का गठन—(1) उस तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, प्रत्येक राज्य में "राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण" के नाम से ज्ञात एक राज्य प्राधिकरण का गठन किया जाएगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार, यदि ऐसा चाहे तो प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों में राज्य प्राधिकरण के गठन के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें, नियत कर सकेगी ।

(3) किसी राज्य में गठित राज्य प्राधिकरण, ऐसे राज्य में स्थापित राज्य निधि के प्रबंध और अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, उसके उपयोग के लिए उत्तरदायी होगा ।

(4) राज्य प्राधिकरण एक शासी निकाय से मिलकर बनेगा और विषय निर्वाचन समिति तथा कार्यपालक समिति द्वारा उसकी सहायता की जाएगी ।

(5) राज्य का शासी निकाय निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात्:—

(i) राज्य का मुख्य मंत्री और बिना विधान-मंडल वाले किसी संघ राज्यक्षेत्र की दशा में, यथास्थिति, उसका उपराज्यपाल या प्रशासक—पदेन अध्यक्ष;

(ii) वन मंत्री—पदेन सदस्य;

(iii) मुख्य सचिव—पदेन सदस्य;

(iv) पर्यावरण विभाग, वित्त विभाग, योजना विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, जनजातीय विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान सचिव—पदेन सदस्य;

(v) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल का प्रमुख)—पदेन सदस्य;

(vi) मुख्य वन्य जीव वार्डन—पदेन सदस्य।

(6) किसी राज्य में वन विभाग का प्रभारी प्रधान सचिव उस राज्य में राज्य प्राधिकरण का सदस्य सचिव होगा।

(7) राज्य सरकार, मुख्य वन संरक्षक की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति के किसी अधिकारी को राज्य प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करेगी, जो राज्य प्राधिकरण की विषय निर्वाचन समिति और कार्यपालक समिति का सदस्य सचिव होगा।

11. राज्य प्राधिकरण की विषय निर्वाचन समिति और कार्यपालक समिति—(1) राज्य प्राधिकरण के शासी निकाय की इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों और शक्तियों के पालन में विषय निर्वाचन समिति और कार्यपालक समिति द्वारा सहायता की जाएगी।

(2) किसी राज्य प्राधिकरण की विषय निर्वाचन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(i) मुख्य सचिव—पदेन अध्यक्ष;

(ii) वन विभाग, पर्यावरण विभाग, वित्त विभाग, योजना विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व विभाग, कृत्रि विभाग, जनजातीय विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान सचिव—पदेन सदस्य;

(iii) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल का प्रमुख)—पदेन सदस्य;

(iv) मुख्य वन्य जीव वार्डन—पदेन सदस्य;

(v) नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69)—पदेन सदस्य;

(vi) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संबंधित प्रादेशिक कार्यालय का प्रमुख—पदेन सदस्य;

(vii) नोडल अधिकारी, राज्य वन विकास अभिकरण—पदेन सदस्य;

(viii) जनजातीय विषयों का एक विशेषज्ञ या जनजातीय समुदायों का एक प्रतिनिधि, जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना है—पदेन सदस्य;

(ix) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राज्य प्राधिकरण—सदस्य सचिव।

(3) किसी राज्य प्राधिकरण की कार्यपालक समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(i) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल का प्रमुख)—पदेन अध्यक्ष;

(ii) मुख्य वन्य जीव वार्डन—पदेन सदस्य;

(iii) वन और वन्य जीवों से संबंधित स्कीमों के संबंध में कार्यवाही करने वाला मुख्य वन संरक्षक से अनिम्न पंक्ति का कोई अधिकारी—पदेन सदस्य;

(iv) वन और वनोद्योग अनुसंधान के संबंध में कार्यवाही करने वाला मुख्य वन संरक्षक से अनिम्न पंक्ति का कोई अधिकारी—पदेन सदस्य;

(v) नोडल अधिकारी, राज्य वन विकास अभिकरण—पदेन सदस्य;

(vi) पर्यावरण विभाग, वित्त विभाग, योजना विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, जनजातीय विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि—पदेन सदस्य;

(vii) वित्त नियंत्रक या वित्त सलाहकार, जो वित्त विभाग द्वारा नामनिर्देशित किया जाना है—पदेन सदस्य;

(viii) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले दो विख्यात गैर-सरकारी संगठन—सदस्य;

(ix) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले जिला स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के दो प्रतिनिधि—सदस्य;

(x) जनजातीय विषयों का एक विशेषज्ञ या जनजातीय समुदायों का एक प्रतिनिधि, जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना है—पदेन सदस्य;

(xi) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राज्य प्राधिकरण—पदेन सचिव ।

(4) राज्य प्राधिकरण, विषय निर्वाचन समिति और कार्यपालक समिति की इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए नियुक्त कर सकेगा, अर्थात्:—

(i) वन संरक्षक की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी;

(ii) राज्य सरकार में उप सचिव की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी;

(iii) वन उप संरक्षक की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी ।

(5) राज्य प्राधिकरण का शासी निकाय, राज्य सरकार की पूर्व सहमति से कार्यपालक निकाय और मानीटरी समूह की इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए राज्य प्राधिकरण में सहायक वन संरक्षक के स्तर के और अन्य पदधारियों के पद सृजित कर सकेगा ।

12. सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें—इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, राष्ट्रीय प्राधिकरण, कार्यपालक समिति, मानीटरी समूहों के सदस्यों, राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा नियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी और पदधारियों, राज्य प्राधिकरण के सदस्यों, प्रत्येक राज्य प्राधिकरण की विषय निर्वाचन समिति और कार्यपालक समिति के सदस्यों की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

13. निरर्हताएं—कोई व्यक्ति राष्ट्रीय प्राधिकरण, राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यपालक समिति, किसी राज्य प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण की विषय निर्वाचन समिति और कार्यपालक समिति, मानीटरी समूह के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह,—

(i) ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और कारावास से दंडाविष्ट किया गया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या

(ii) अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(iii) विकृतचित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा उसे उस रूप में घोषित किया गया है; या

(iv) सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन संगठनों या उपक्रमों की सेवा से हटाया या पदच्युत किया गया है; या

(v) उसका, केन्द्रीय सरकार की राय में, राष्ट्रीय प्राधिकरण या संबंधित राज्य प्राधिकरण में ऐसा वित्तीय या अन्य हित है जिससे सदस्य के रूप में अपने कृत्यों के संबंध में उसके द्वारा निर्वहन किए गए कर्तव्यों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

अध्याय 4

राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरणों की शक्तियां और कृत्य

14. राष्ट्रीय प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य—(1) राष्ट्रीय प्राधिकरण का शासी निकाय—

(i) राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरणों के कृत्यों के लिए विस्तृत नीति की ऐसी रूपरेखा निश्चित करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए;

(ii) राष्ट्रीय प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षित लेखाओं का अनुमोदन करेगा;

(iii) राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यपालक समिति और मानीटरी समूह द्वारा किए गए विनिश्चय, जिनके अंतर्गत विनिधान विनिश्चय भी है, संबंधी रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करेगा;

(iv) धारा 5 के खंड (ख) के उपखंड (iii) में विनिर्दिष्ट स्कीमों के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन करेगा;

(v) केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के अध्यधीन राष्ट्रीय प्राधिकरण में पद सृजित करने के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन करेगा;

(vi) अंतरराज्यिक और केन्द्र-राज्य स्वरूप के विवाद्यकों का निराकरण करने के लिए राज्य प्राधिकरणों को तंत्र उपलब्ध कराएगा;

(vii) राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरणों की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए ऐसी प्रक्रियाएं विरचित करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं ।

(2) राष्ट्रीय प्राधिकरण का शासी निकाय छह मास में कम से कम एक बार बैठक करेगा ।

(3) राष्ट्रीय प्राधिकरण के शासी निकाय और कार्यपालक समिति तथा राष्ट्रीय प्राधिकरण के मानीटरी समूह ऐसे स्थानों पर बैठकें करेंगे और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में, जिसके अंतर्गत उसमें उनकी गणपूर्ति भी है, ऐसे नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करेंगे, जो विहित की जाएं ।

15. राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यपालक समिति की शक्तियां और कृत्य—(1) राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यपालक समिति—

(i) राज्य प्राधिकरण की संक्रियाओं की वार्षिक योजना का, उसके प्राप्त होने की तारीख से तीन मास के भीतर ऐसे संशोधनों के साथ, जिन्हें वह ठीक और उचित समझे, अनुमोदन करेगी;

(ii) धारा 5 के खंड (ख) के उपखंड (iii) में विनिर्दिष्ट स्कीमों के लिए प्रस्तावों की विरचना करेगी;

(iii) धारा 5 के खंड (ख) के उपखंड (iii) में विनिर्दिष्ट स्कीमों को निष्पादित करेगी;

(iv) राष्ट्रीय प्राधिकरण के पदों पर संविदा पर या प्रतिनियुक्ति आधार पर कर्मचारी अभिनियोजित करेगी;

(v) सहायक वन महानिरीक्षक और अन्य अधिकारियों के स्तर पर राष्ट्रीय प्राधिकरण में पदों के सृजन के लिए प्रस्तावों को तैयार करेगी;

(vi) राष्ट्रीय निधि में उपलब्ध अधिशेष रकमों की निधियों का विनिधान करेगी;

(vii) राष्ट्रीय निधि में रकमों की प्राप्ति की बाबत दिन-प्रतिदिन के अन्य कार्य निष्पादित करेगी;

(viii) लेखा बहियां और ऐसे अन्य अभिलेख रखेगी;

(ix) ऐसी वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और अन्य सहायता को सुकर बनाएगी, जो राज्य प्राधिकरणों द्वारा अपेक्षित हों;

(x) अपने विनिश्चियों को सूचना के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण के शासी निकाय को प्रस्तुत करेगी;

(xi) राष्ट्रीय प्राधिकरण पर जन सूचना प्रणाली बनाए रखेगी और उसे अद्यतन करेगी और उसके संव्यवहार से संबंधित सभी सूचनाएं लोक क्षेत्र में प्रस्तुत करेगी;

(xii) ऐसे अन्य कार्य करेगी जो राष्ट्रीय प्राधिकरण के शासी निकाय या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे जाएं ।

(2) राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यपालक समिति प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी ।

16. मानीटरी समूह के कृत्य—(1) मानीटरी समूह—

(i) केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में क्षेत्रीय कार्यालयों की सेवाओं का उपयोग करके, निधियों के प्रभावी और उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरणों द्वारा जारी की गई निधियों का उपयोग करके राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में कार्यान्वित कार्यों को साथ-साथ मानीटर करने और उनके मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र प्रणाली तैयार करेगा:

परन्तु केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरणों द्वारा जारी की गई निधियों का उपयोग करके राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में निष्पादित कार्यों को मानीटर करने और उनका मूल्यांकन तृतीय पक्षकार के माध्यम से भी कर सकेगी;

(ii) राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरणों द्वारा जारी की गई निधियों का उपयोग करके, निष्पादित किए गए कार्यों का निरीक्षण और वित्तीय संपरीक्षा करेगा;

(iii) पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए उपाय तैयार करेगा ।

(2) मानीटरी समूह तीन मास में कम से कम एक बार बैठक करेगा ।

17. राज्य प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य—(1) किसी राज्य प्राधिकरण का शासी निकाय—

(i) राष्ट्रीय प्राधिकरण की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित समस्त रूपरेखा के भीतर ऐसे राज्य प्राधिकरण के कार्यकरण के लिए विस्तृत नीति रूपरेखा अधिकथित करेगा;

(ii) समय-समय पर राज्य प्राधिकरण के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करेगा ।

(2) राज्य प्राधिकरण का शासी निकाय छह मास में कम से कम एक बार बैठक करेगा ।

(3) राज्य प्राधिकरण के शासी निकाय और विषय निर्वाचन समिति तथा कार्यपालक समिति ऐसे स्थानों पर बैठकें करेंगे और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में, जिनके अंतर्गत उसमें उनकी गणपूर्ति भी है, ऐसे नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करेंगे, जो विहित की जाएं ।

18. राज्य प्राधिकरण की विषय निर्वाचन समिति की शक्तियां और कृत्य—(1) किसी राज्य प्राधिकरण की विषय निर्वाचन समिति—

(i) ऐसे राज्य प्राधिकरण की कार्यपालक समिति द्वारा तैयार की गई संक्रियाओं की वार्षिक योजना की संवीक्षा और ऐसे संशोधनों के साथ, जिन्हें वह ठीक और उचित समझती है, अनुमोदन करेगी और उसे अंतिम अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यपालक समिति को भेजेगी;

(ii) राज्य निधि से जारी की गई निधियों के उपयोग की प्रगति को मानीटर करेगी;

(iii) कार्यपालक समिति द्वारा किए गए विनिश्चयों, जिसके अंतर्गत विनिधान विनिश्चय भी हैं; संबंधी रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करेगी;

(iv) राज्य प्राधिकरण में पदों के सृजन के लिए कार्यपालक समिति द्वारा निश्चित किए गए प्रस्तावों का राज्य प्राधिकरण की पूर्व सहमति के अध्यधीन अनुमोदन करेगी;

(v) राज्य प्राधिकरण की वार्षिक रिपार्ट का अनुमोदन करेगी और उसे प्रतिवर्ष राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखने के लिए राज्य सरकार को भेजेगी;

(vi) अंतर-विभागीय समन्वयन सुनिश्चित करेगी ।

(2) किसी राज्य प्राधिकरण की विषय निर्वाचन समिति प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बैठक करेगी ।

19. राज्य प्राधिकरण की कार्यपालक समिति के कृत्य और शक्तियां—(1) किसी राज्य प्राधिकरण की कार्यपालक समिति—

(i) राज्य प्राधिकरण की विषय निर्वाचन समिति की सहमति अभिप्राप्त करने के पश्चात् संक्रियाओं की वार्षिक योजना तैयार करेगी और उसे राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यपालक समिति को प्रस्तुत करेगी;

(ii) राज्य निधि में उपलब्ध रकमों से कार्यान्वित किए गए कार्यों का गुणात्मक और परिमाणात्मक पर्यवेक्षण, मानीटरी और मूल्यांकन करेगी;

(iii) ऐसे राज्य की राज्य निधि में उपलब्ध अधिशेष रकमों का विनिधान करेगी;

(iv) लेखा बहियां और अन्य अभिलेख रखेगी;

(v) राज्य प्राधिकरण की विषय निर्वाचन समिति को रिपोर्टें प्रस्तुत करेगी;

(vi) राज्य प्राधिकरण की वार्षिक रिपार्ट तैयार करेगी;

(vii) राज्य प्राधिकरण में के पदों पर संविदा के आधार पर या प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी अभिनियोजित करेगी;

(viii) राज्य प्राधिकरण में पदों के सृजन के लिए प्रस्ताव तैयार करेगी;

(ix) वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए उत्तरदायी होगी;

(x) राज्य प्राधिकरण के संबंध में दिन-प्रतिदिन के अन्य कार्यकरण के लिए उत्तरदायी होगी;

(xi) राज्य प्राधिकरण की जन सूचना प्रणाली बनाए रखेगी और उसे अद्यतन करेगी और उसके संव्यवहार से संबंधित सभी सूचनाएं लोक क्षेत्र में प्रस्तुत करेगी;

(xii) ऐसे अन्य कार्य करेगी, जो राज्य प्राधिकरण के शासी निकाय या विषय निर्वाचन समिति या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे जाएं ।

(2) किसी राज्य प्राधिकरण की कार्यपालक समिति प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी ।

अध्याय 5

वित्त, लेखा, संपरीक्षा और वार्षिक रिपोर्ट

20. राष्ट्रीय प्राधिकरण का बजट—(1) राष्ट्रीय प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट तैयार करेगा, जिसमें राष्ट्रीय प्राधिकरण की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय को दर्शित किया जाएगा और उसे केन्द्रीय सरकार को भेजेगा ।

(2) राष्ट्रीय प्राधिकरण, विशिष्ट रूप से राष्ट्रीय प्राधिकरण के बजट को तैयार और कार्यान्वित करने के लिए ऐसे वित्तीय विनियमों और प्रक्रियाओं को अंगीकृत करेगा, जो विहित की जाएं ।

21. राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा निधियों का विनिधान—राष्ट्रीय प्राधिकरण अपनी निधियों का, जिनके अंतर्गत कोई आरक्षित निधि भी है, केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में या अनुसूचित बैंकों में ऐसी रीति में, विनिधान कर सकेगा, जो विहित की जाए:

परन्तु केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदानों को विनिहित नहीं किया जाएगा और उनका उपयोग उनसे संबंधित प्रयोजनों के लिए और उसी रीति में किया जाएगा ।

22. राष्ट्रीय प्राधिकरण के लेखे और संपरीक्षा—(1) राष्ट्रीय प्राधिकरण, उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख बनाए रखेगा और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए ।

(2) राष्ट्रीय प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा, ऐसे अंतरालों पर की जाएगी, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा ।

(3) प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक तथा उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के उस संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में सामान्यत: होते हैं और उसे विशिष्ट रूप में बहियां, लेखा, संबधित वाउचर और अन्य दस्तावेज तथा कागज पेश किए जाने की मांग करने और राष्ट्रीय प्राधिकरण के कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित राष्ट्रीय प्राधिकरण के लेखे, उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक रूप से राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे ।

(5) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनो द्वारा संगृहीत सभी धन, जिन्हें तदर्थ प्राधिकरण के पास रखा गया है और राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा किया गया है, के लेखाओं की संपरीक्षा करेगा और इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(6) केन्द्रीय सरकार को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के माध्यम से राष्ट्रीय निधि और राष्ट्रीय प्राधिकरण की विशेष संपरीक्षा या कार्य संपादन संपरीक्षा कराने की शक्ति होगी ।

23. राष्ट्रीय प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट—(1) राष्ट्रीय प्राधिकरण, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का पूरा लेखा-जोखा देते हुए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजेगा ।

(2) वार्षिक रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध होगा,—

(i) वर्ष के दौरान राष्ट्रीय निधि और राज्य निधियों से जारी की गई रकमों से किए गए क्रियाकलापों का मूल्यांकन और उनकी मानीटरी करने का संक्षिप्त विवरण;

(ii) धारा 5 के खंड (ख) के उपखंड (iii) में विनिर्दिष्ट उन विनिर्दिष्ट स्कीमों का जो वर्ष के दौरान निष्पादित की गई हों, संक्षिप्त विवरण;

(iii) संगृहीत और व्यय की गई धनराशि की रकम ।

24. राष्ट्रीय प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा रिपोर्ट का संसद् के समक्ष रखा जाना—केन्द्रीय सरकार, वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा रिपोर्ट को, उसमें अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन के साथ, रिपोर्टों के प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

25. राज्य प्राधिकरण का बजट—(1) प्रत्येक राज्य प्राधिकरण, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट तैयार करेगा, जिसमें राज्य प्राधिकरण की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय को दर्शित किया जाएगा और उसे राज्य सरकार को भेजेगा ।

(2) प्रत्येक राज्य प्राधिकरण, विशिष्ट रूप से राज्य प्राधिकरण के बजट को तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए ऐसे वित्तीय विनियमों और प्रक्रियाओं को अंगीकृत करेगा, जो विहित की जाएं ।

26. राज्य प्राधिकरण द्वारा निधियों का विनिधान—राज्य प्राधिकरण ऐसे राज्य की राज्य निधि में उपलब्ध निधियों का विनिधान केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में या अनुसूचित बैंकों में ऐसी रीति में, कर सकेगा, जो विहित की जाए:

परन्तु राज्य सरकार से प्राप्त अनुदानों को विनिहित नहीं किया जाएगा और उनका उपयोग विहित प्रयोजन के लिए और विहित रीति में किया जाएगा ।

27. राज्य प्राधिकरण के लेखे और संपरीक्षा—(1) प्रत्येक राज्य प्राधिकरण, उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख बनाए रखेगा और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए ।

(2) प्रत्येक राज्य प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा, ऐसे अंतरालों पर की जएगी, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय राज्य प्राधिकरण द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा ।

(3) प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक तथा उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के उस संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे, जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में सामान्यत: होते हैं और उसे विशिष्ट रूप में बहियां, लेखा, संबंधित वाउचर और अन्य दस्तावेज तथा कागज पेश किए जाने की मांग करने और राज्य प्राधिकरण के कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित राज्य प्राधिकरण के लेखे, उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक रूप से राज्य प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे ।

(5) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर ऐसे सभी धन के लेखाओं की संपरीक्षा करेगा, जो तदर्थ प्राधिकरण द्वारा तारीख 2 जुलाई, 2009 के मार्गदर्शक सिद्धांतों की अनुपालना में राज्यों में गठित राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण को अंतरित किए गए हैं और इस धारा के अधीन राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(6) केन्द्रीय सरकार और संबद्ध राज्य सरकार को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के माध्यम से राज्य निधि और राज्य प्राधिकरण की विशेष संपरीक्षा या कार्य संपादन संपरीक्षा कराने की शक्ति होगी ।

28. राज्य प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट—(1) प्रत्येक राज्य प्राधिकरण, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का पूरा लेखा-जोखा देते हुए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को भेजेगा ।

(2) राज्य प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध होगा,—

(i) इस धारा की अपेक्षा के अध्यधीन प्रत्येक पुन: वनरोपण, वनरोपण और संरक्षण क्रियाकलाप की संख्या और अवस्थान;

(ii) क्रियाकलाप के संबंध में हैक्टर में साफ कराई गई, संरक्षित और वृक्षरोपित भूमियों का परिमाण और अवस्थान;

(iii) संगृहीत और व्यय की गई वनरोपण धनराशि की रकम ।

29. राज्य प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा रिपोर्ट का राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाना—राज्य सरकार, वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा रिपोर्ट को, उसमें अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन के साथ, रिपोर्टों के प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी:

परंतु बिना विधान-मंडल वाले संघ राज्यक्षेत्र की दशा में, केन्द्रीय सरकार, वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा रिपोर्ट को उनमें अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन के साथ, रिपोर्टों के प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

30. नियम बनाने की शक्ति—(1) केंद्रीय सरकार राज्य सरकार के परामर्श से, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए पूर्व प्रकाशन के पश्चात् नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के बारे में उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय निधि का प्रबंध;

(ख) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन राज्य प्राधिकरणों द्वारा राज्य निधि का प्रबंध;

(ग) धारा 6 के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए धन का उपयोग करने की रीति;

(घ) धारा 6 के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए धन का उपयोग करने की रीति;

(ङ) धारा 6 के खंड (च) के अधीन राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्तों के संदाय की रीति;

(च) धारा 7 के अधीन राष्ट्रीय निधि और राज्य निधियों में धन जमा करने की रीति का विनियमन करने वाली लेखा प्रक्रिया;

(छ) धारा 12 के अधीन राष्ट्रीय प्राधिकरण कार्यपालक समिति, मानीटरी समूह के सदस्यों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा नियुक्त पदधारियों, राज्य प्राधिकरण विषय निर्वाचन समिति और प्रत्येक राज्य प्राधिकरण की कार्यपालक समिति के सदस्यों की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें;

(ज) धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय प्राधिकरण के शासी निकाय और कार्यपालक समिति तथा राष्ट्रीय प्राधिकरण का मानीटरी समूह, कारबार संव्यवहार और बैठक के स्थान, जिसके अंतर्गत गणपूर्ति भी है, की बाबत नियम और प्रक्रियाएं;

(झ) धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन किसी राज्य प्राधिकरण के शासी निकाय और विषय निर्वाचन समिति और कार्यपालक समिति के कारबार संव्यवहार तथा बैठक के स्थान, जिसके अंतर्गत गणपूर्ति भी है, की बाबत नियम और प्रक्रियाएं;

(ञ) धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय प्राधिकरण का बजट तैयार करना;

(ट) धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन वित्तीय विनियमन और प्रक्रियाएं, विशिष्टतया राष्ट्रीय प्राधिकरण का बजट तैयार करने और कार्यान्वित करने की प्रक्रिया;

(ठ) धारा 21 के अधीन राष्ट्रीय प्राधिकरण की निधियों का विनिधान;

(ड) धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा लेखाओं और अन्य सुसंगत अभिलेखों का बनाए रखा जाना और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण तैयार किया जाना;

(ढ) धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा वार्षिक रिपोर्ट का तैयार किया जाना;

(ण) धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन राज्य प्राधिकरण का बजट तैयार किया जाना;

(त) धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन वित्तीय विनियम और प्रक्रियाएं, विशिष्टतया राज्य प्राधिकरण द्वारा बजट तैयार करने और कार्यान्वित करने की प्रक्रिया;

(थ) धारा 26 के अधीन राज्य प्राधिकरणों द्वारा निधियों का विनिधान;

(द) धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक राज्य प्राधिकरण द्वारा लेखाओं और अन्य सुसंगत अभिलेखों का बनाए रखा जाना और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण तैयार किया जाना;

(ध) धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन राज्य प्राधिकरणों द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार किया जाना; और

(न) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किंतु नियम के ऐसे उपांतरित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल नहीं पड़ेगा ।

31. आस्तियों, दायित्वों आदि का अंतरण—(1) राष्ट्रीय प्राधिकरण के गठन की तारीख से ही—

(i) तदर्थ प्राधिकरण की सभी आस्तियां और दायित्व राष्ट्रीय प्राधिकरण को अंतरित हो जाएंगे और उसमें निहित हो जाएंगे ।

स्पष्टीकरण—तदर्थ प्राधिकरण की आस्तियों के अंतर्गत वे सभी अधिकार और शक्तियां, सभी संपत्तियां, चाहे जंगम हों या स्थावर, जिसके अंतर्गत विशिष्टतया नकद अतिशेष, जमा राशियां और ऐसी संपत्तियों से उद्भूत होने वाले अन्य सभी हित और अधिकार भी हैं, जो तदर्थ प्राधिकरण के कब्जे में हों और उनसे संबंधित सभी लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज भी हैं और दायित्वों के अंतर्गत सभी ऋण, दायित्व और किसी भी प्रकार की बाध्यताएं भी होंगी;

(ii) खंड (i) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, तदर्थ प्राधिकरण के प्रयोजन के लिए या उसके संबंध में राष्ट्रीय प्राधिकरण के गठन के ठीक पहले तदर्थ प्राधिकरण द्वारा उसके साथ या उसके लिए उपगत सभी ऋण, बाध्यताएं और दायित्व, की गई सभी संविदाएं या किए जाने के लिए वचनबद्ध सभी मामले और बातें राष्ट्रीय प्राधिकरण के द्वारा, उसके लिए उपगत की गई या किए जाने के लिए वचनबद्ध समझी जाएंगी;

(iii) राष्ट्रीय प्राधिकरण के गठन से ठीक पहले तदर्थ प्राधिकरण को शोध्य धन की सभी राशियां राष्ट्रीय प्राधिकरण को शोध्य हो जाएंगी;

(iv) तदर्थ प्राधिकरण द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित या जो उसके द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित किए जा सकने वाले सभी वाद और कार्यवाहियां राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखे जा सकेंगे या संस्थित किए जा सकेंगे ।

(2) राज्य प्राधिकरण के गठन के तारीख से ही,—

(i) तारीख 2 जुलाई, 2009 के मार्गदर्शक सिद्धांतों की अनुपालना में ऐसे राज्य में गठित राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण की सभी आस्तियां और दायित्व राज्य प्राधिकरण को अंतरित और उसमें निहित हो जाएंगे ।

स्पष्टीकरण—तारीख 2 जुलाई, 2009 के मार्गदर्शक सिद्धांतों की अनुपालना में ऐसे राज्य में गठित राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण की भी आस्तियों के अंतर्गत वे सभी अधिकार और शक्तियां, सभी संपत्तियां, चाहे जंगम हों या स्थावर, जिसके अंतर्गत विशिष्टतया नकद अतिशेष, जमा राशियां और ऐसी संपत्तियों में या उससे उद्भूत होने वाले अन्य सभी हित और अधिकार, जो 2 जुलाई, 2009 के मार्गदर्शक सिद्धांतों की अनुपालना में ऐसे राज्य में गठित प्राधिकरण के कब्जे में हों तथा उससे संबंधित सभी लेखा पुस्तकें और अन्य दस्तावेज भी हैं और दायित्वों के अंतर्गत सभी ऋण, दायित्व और किसी भी प्रकार की बाध्यताएं भी समझी जाएंगी;

(ii) खंड (i) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से पहले 2 जुलाई, 2009 के मार्गदर्शक सिद्धांतों की अनुपालना में ऐसे राज्य में गठित प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण द्वारा या उसके साथ या उसके लिए या 2 जुलाई, 2009 के मार्गदर्शक सिद्धांतों की अनुपालना में ऐसे राज्य में गठित प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण के प्रयोजनों के लिए या उसके संबंध में उपगत सभी ऋण, बाध्यताएं और दायित्व, की गई सभी संविदाएं या किए जाने के लिए वचनबद्ध सभी मामले या बातें राज्य प्राधिकरण द्वारा या उसके साथ या उसके लिए उपगत की गई या किए जाने के लिए वचनबद्ध समझी जाएंगी;

(iii) राज्य प्राधिकरण के गठन से पहले 2 जुलाई, 2009 के मार्गदर्शक सिद्धांतों की अनुपालना में ऐसे राज्य में गठित प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण को शोध्य धन की सभी राशियां राज्य प्राधिकरण को शोध्य हो जाएंगी;

(iv) 2 जुलाई, 2009 के मार्गदर्शक सिद्धांतों की अनुपालना में ऐसे राज्य में गठित प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित या जो उसके द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित की जा सकती थी, सभी वाद और विधिक कार्यवाहियां राज्य प्राधिकरण द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रह सकेंगी या संस्थित की जा सकेंगी ।

32. विधिमान्यता—(1) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रीय निधि में जमा रकम को संविधान के अनुच्छेद 266 और अनुच्छेद 283 के अर्थांतर्गत भारत के लोक लेखे में जमा की गई और सदैव जमा समझा जाएगा और उसे संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा विनियमित किया जाएगा ।

(2) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा संगृहीत ऐसे सभी धन, जो तदर्थ प्राधिकरण के पास रखे गए हैं तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा किए गए हैं और उन पर प्रोद्भूत ब्याज राष्ट्रीय निधि में अंतरित हो जाएंगे ।

(3) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य निधि में जमा रकम को संविधान के अनुच्छेद 266 और अनुच्छेद 283 के अर्थांतर्गत राज्य के लोक लेखे में जमा की गई और सदैव जमा समझा जाएगा और उसे राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा विनियमित किया जाएगा ।

33. केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, यदि वह लोकहित में आवश्यक और समीचीन पाती है तो राष्ट्रीय प्राधिकरण या किसी राज्य प्राधिकरण को ऐसे नीति निदेश लिखित में जारी कर सकेगी और, यथास्थिति, राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण पर ऐसे नीति निदेश बाध्यकारी होंगे ।

(2) कोई प्रश्न नीति संबंधी प्रश्न है या नहीं, इस बारे में केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

———